प्रेषक,

अरविन्द मिश्र,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।
(ID No.UP6263)

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

विषयः– **मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र सं०–9283/VIIb–104/Admin D Section, दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र सं०–9691/IV–F–82 (Pension)/Admin.(A) दिनांक 16.07.2024 तथा उत्तर–प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024, दिनांक–28 जून 2024 सपठित शासनादेश सं०–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024, दिनांक 11 जुलाई 2024 के क्रम में विकल्प का प्रयोग करके पुरानी पेंशन योजना चयन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

1. उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024, दिनांक–28 जून 2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जिनका चयन ऐसे पद के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश की नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक–28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुकी थी, के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में उत्तर–प्रदेश राज्य सरकार के वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा दिनांक–11 जुलाई 2024 के शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 के माध्यम से विकल्प पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। उक्त विकल्प पत्र संलग्नक–1, शासनादेश दिनांकित 28.06.2024 संलग्नक–2 तथा शासनादेश दिनांकित 11.07.2024 संलग्नक–3 के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

2. उपर्युक्त सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र सं०–9283/VIIb–104/Admin D Section, दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र सं०–9691/IV–F–82 (Pension)/Admin.(A) दिनांक 16.07.2024 को भी प्रकरण के सम्बंध में विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को हार्ड कॉपी में एवं संबंधित अधिकारी के ई–सर्विसेज पर उपलब्ध ई–पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी समय से प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

3. यह अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी न्यायिक सेवा वर्ष 2003 बैच का न्यायिक अधिकारी है। अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन **सं०–ए–2/ई–1/2003, विज्ञप्ति दिनांकित 15 नवम्बर, 2003** (प्रति संलग्नक–4 के रूप में संलग्न) में उल्लेखित रिक्तियों के सापेक्ष हुयी है। अधोहस्ताक्षरी का अब तक नवीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन कटौती (PRAN ID) सं०–**110031966366** पर की जा रही है। अतः उ०प्र० राज्य के उपरोक्त शासनादेश दिनांकित 28.06.2024 एवं मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है।

4. यह भी अवगत कराना है कि विज्ञप्ति के सापेक्ष प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक **26.05.2006** को उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना नियुक्ति (अनुभाग–4) सं0–2430/दो–4–06–32(1)/2001 टी.

6/8/24

सी.–1 व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांकित **13.06.2006** सं0–1042/DR(S)/2006 (प्रति संलग्नक–5 के रूप में संलग्न) के द्वारा अपर सिविल जज (जू0डि0), फर्रुखाबाद के पद पर हुई थी एवं योगदान की तिथि **15.06.2006** थी। तदनुसार प्रार्थी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर रहा है।

5. अतः आपसे अनुरोध है कि मेरा पुरानी पेंशन योजना से सम्बंधित विकल्प पत्र मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं सम्बंधित पेंशन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

ससम्मान।

दिनांक–06.08.2024

भवदीय
6/8/24
(अरविन्द मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।
(ID No.UP6263)

संलग्नक :–यथोपरि।

क्रमांक 1287/XV दिनांक 06.08.2024
अग्रसारित
जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर
06/08/2024